संख्या–917/9–आ–4–99–65 एन/98

प्रेषक,

श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डालायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग–4

लखनऊ :दिनाँक : 17 मार्च, 1999

विषय : **पूर्व नजूल नीति शासनादेश संख्या–3632/9–आ–4–92–293 एन/90, दिनांक 20 दिसम्बर, 1992 की व्यवस्थानुसार स्थानीय निकायों के किरायेदारों के नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु लम्बित प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश दिनांक 01–12–98 के प्रस्तर–5 में स्थनीय निकायों द्वारा नजूल भूमि अथवा उस पर अनाधिकृत रूप से निर्मित किये गये आवासीय/व्यवसायिक भवनों को किराये/अस्थाई पटटे पर उठाये गये मामलों में फ्री–होल्ड कराने का पहला अधिकार स्थानीय निकायों को प्रदान किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त श्रेणी के स्थानीय निकाय के किरायेदार/पट्टेदार के यदि कोई फ्री–होल्ड प्रार्थना–पत्र पूर्व नजूल नीति शासनादेश 2.12.92 के प्रस्तर–2(2) की व्यवस्थानुसार लम्बित है तो सम्बन्धित भूमि/भवन के फ्री–होल्ड हेतु स्थानीय निकायों द्वारा नई नीति के अन्तर्गत आवेदन कर देने पर उन्हें फ्री–होल्ड के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। ऐसे सभी प्रार्थना–पत्रों को शासनादेश संख्या–544/9–आ–4–99–704 एन/1997, दिनांक 03 फरवरी, 1999 के प्रस्तर–3 की व्यवस्थानुसार शासन की स्वीकृति/निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जायेगा और शासन से निर्णय होने के उपरान्त इन प्रकरणों में फ्री–होल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

3– ऐसे सभी प्रस्ताव संलग्न चेक लिस्ट मं अकित बिन्दुओं पर वांछित सूचना/अभिलेखों के साथ भेजे जायेंगें।

4– जिलाधिकारी/सम्बन्धित उपध्यक्ष, विकास प्राधिकरण इस शासनादेश की प्रतियां कृपया अपने स्तर से जनपद के समस्त निकायों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या–917(1)/9–आ–4–99 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
(2). प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनु सचिव

चेक लिस्ट

(1) फ्री–होल्ड प्रस्ताव के अन्तर्गत आने वाले
(क) उक्त भूखण्ड/भूखण्डों की संख्या–
(2) फ्री–होल्ड हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल–
(3)फ्री–होल्ड हेतु आवेदकों की संख्या–
(4)महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग–
(5) नजरी नक्शा (जिसमें पूर्ण स्थिति अलग–अलग रंगों से दर्शायी गयी हो)–
(6) भूखण्ड/भूखण्डों पर निर्मित भवन/भवनों/दुकानों की संख्या तथा स्थानीय निकाय को उससे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय ाक विवरण–
(7)किरायेदारी कब से चली आ रही है।
(8) फ्री–होल्ड के फलस्वरूप प्रप्त होने वाली राशि–
(9) सम्बन्धित स्थानीय निकाय का मत–
(10) फ्री–होल्ड हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/देहरादून की फ्री–होल्ड के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या/संस्तुति।
नोट :–एक ही भूखण्ड/स्थल के किरायेदारों के समस्त प्रकरणों पर आख्या समन्वित रूप से एक साथ ही दी जाय।